रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 343] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1997/भाद्र 8, 1919
No. 343] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1997/BHADRA 8, 1919

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997

सा.का.नि. 508 (अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए, उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्टि किए जाने पर, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(i) उप नियम (2) और उसके अधीन परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम और परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक सदस्य, उपनियम (1) के अधीन उसे आबंटित किसी वाससुविधा की बाबत या दिल्ली में ऐसी किसी वाससुविधा की बाबत जिसमें वह निवास कर रहा है और जल और विद्युत प्रदाय के लिए प्रभारों का संदाय किए बिना प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को आरंभ होने वाले वर्ष में विद्युत की प्रतिवर्ष अधिकतम 15,000 यूनिट (लाइट/पावर मीटर या एक साथ रखे गए प्रत्येक के 7,500 यूनिट) और 2000 किलोलिटर प्रतिवर्ष जल का प्रभार मुक्त उपभोग करने का हकदार होगा :

परन्तु लाईट, मीटर पर मापित 15,000 यूनिट तक प्रभार का संदाय किए बिना प्रतिवर्ष विद्युत का प्रदाय उन्हीं संसद सदस्यों को किया जा सकेगा, जिनके निवास में पावर मीटर संस्थापित नहीं हैं।

(ii) उपनियम (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु सदस्यों को क्रमश: टिकाऊ फर्नीचर की बाबत 24000 रुपए और गैर टिकाऊ फर्नीचर की बाबत 6000 रुपए की विद्यमान धनीय सीमा के भीतर रहते हुए प्रभार मुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां मांग किए गए अनुसार स्नानगृह और रसोईघर में टाइलों और प्रत्येक तीन मास के पश्चात् सोफा कवरों तथा पर्दों की धुलाई की सुविधा जैसी अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है, वहां सदस्य के लिए उसकी निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी''।

3. मूल नियम में, नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (3) में, ''पच्चीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार'' शब्द रखें जायेंगे।

4. मूल नियम के नियम 4क में,—

(i) उपनियम (1) और उपनियम (4) में, ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख'' शब्द रखे जायेंगे;

(ii) उपनियम (2) में, ''पच्चीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार'' शब्द रखे जायेंगे;

(iii) उपनियम (3) में, ''पच्चीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार'' शब्द रखे जायेंगे; और

(iv) उपनियम (5) में, ''50,000'' अंकों के स्थान पर ''1,00,000'' अंक रखे जायेंगे।

[सं. 10/2/एम.एस.ए./एल.एस.एस./97]

एस. एन. मिश्रा, अपर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th August, 1997

G.S.R. 508 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (No. 30 of 1954), the Joint Committee of Houses of Parliament constiuted under sub-section (1) of that section, after consultation with Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the house, as required by sub-section (4) of the said section, namely:—

1. (1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) (Amendment) Rules, 1997.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rules 2 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(i) for sub-rule (2) and proviso thereunder the following sub-rule and proviso shall be substituted, namely:—

"(2) Every Member shall in respect of any accommodation allotted to him under sub-rule (1) or in respect of any private accommodation in Delhi in which he is residing also be entitled without payment of charges to the supply of water and electricity upto a maximum of 15,000 units of electricity per annum (7,500 units each of light/power meters or pooled together) and 2000 kiloliters of water per annum free of charge beginning first January of every year :

Provided electricity may be supplied without payment of charge upto 15,000 units measured on light meter, per annum, only to those Members of Parliament whose residence have no power meters installed.

(ii) after sub-rule (3) and before the Explanation 1, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the furniture shall be made available free of charge to the Members within the existing monetary ceiling of Rs. 24,000 in respect of durable furniture and Rs. 6,000 for non-durable furniture respectively:

Provided further that where an additional provision such as tiles in bath room and kitchen as demanded and the facility of washing of sofa covers and curtains after every three months the same shall be provided free of cost to the Member."

3. In rule 4 of the principal rules, in sub-rules (1) and (3), for the words "twenty-five thousand", the words "fifty thousand" shall be subsituted.

4. In rule 4A of the principal rules,—

(i) in sub-rules (1) and (4), for the words, "fifty thousand", the words, "one lakh" shall be substituted:

(ii) in sub-rule (2) for the words "twenty five thousand" the words "fifty thousand" shall be substituted:

(iii) in sub-rule (3) for the words "twenty five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted; and

(iv) in sub-rule (5) for the figures "50,000", the figure "1,00,000" shall be substituted.

[No. 10/2/MSA/LSS/97]

S. N. MISHRA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997

सा० का० नि० 509 (अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् चिकित्सीय सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए, उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्टि किए जाने पर निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिकित्सीय सुविधा (संसद सदस्य) (संशोधन)) नियम, 1997 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चिकित्सीय सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1959 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. अभिदाय-प्रत्येक संसद सदस्य से एक अनिवार्य मासिक अभिदाय उसी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा, जो उच्चतम सिविल सेवक द्वारा संदेय होगा और ऐसा अभिदाय सदस्य के मासिक वेतन बिल से वसूलीय होगा।"

[सं. 10/2/एम. एस.ए./एल एस एस/97]

एस.एन. मिश्रा, अपर सचिव

New Delhi, the 30th August, 1997

G.S.R. 509 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules to amend the Medical Facilities (Members of Parliament) Rules, 1959, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of the said section, namely :—

1. (1) These rules may be called the Medical Facilities (Members of Parliament) (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 3 of the Medical Facilities (Members of Parliament) Rules, 1959, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Contribution - A compulsory monthly contribution shall be levied from every member of Parliament at the same rate as would be payable by the highest Civil Servant and such contribution shall be recoverable from the monthly Salarly Bill of the Member."

[No. 10/2/MSA/LSS/97]

S.N. MISHRA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997

सा.का.नि. 510 (अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (भत्ता) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्टि कर दिया गया है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) (संशोधन) नियम, 1997 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की रकम कोई सदस्य, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 8 के अधीन छह हजार रुपये प्रति माह की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।"

[सं. 10/2/एम.एस.ए./एल.एस.एस/97]

एस.एन. मिश्रा, अपर सचिव

New Delhi, the 30th August, 1997

G.S.R. 510 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules to amend the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of the said section, namely :—

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Constituency Allowance) (Amendment) Rules, 1997.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. for rule 2 of the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986, the following shall be substituted, namely :—

"2. Amount of Constituency allowance—A member shall be entitled to receive the Constituency allowance under section 8 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), at the rate of rupees Six thousand per mensem".

[No. 10/2/MSA/LSS/97]

S. N. MISHRA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1997

सा.का.नि. 511 (अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है जिनका अनुमोदन और पुष्टिकरण, उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा कर दिया गया है; अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) (संशोधन) नियम, 1997 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) कार्यालय व्यय भत्ते की रकम—

सदस्य संसद,अधिनियम की धारा 8 के अधीन पांच हजार पांच सौ रुपये प्रति माह की दर से कार्यालय व्यय भत्ता पाने का हकदार होगा। जिसमें से पन्द्रह सौ रुपये लेखन-सामग्री आदि की व्यय पूर्ति के लिए होंगे और लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय चार हजार रुपये तक प्रति मास ऐसे व्यक्ति को संदाय कर सकता है जिसे संसद सदस्य ने सचिवालय सहायता अभिप्राप्त करने के लिए लगाया हो।"

[सं. 10/2/एम.एस.ए./एल.एस.एस/97]

एस.एन. मिश्रा, अपर सचिव

New Delhi, the 30th August, 1997

G.S.R. 511 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances, and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (No. 30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Office expenses allowance) Rules 1988, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of the said section, namely:—

1. (i) These rules may be called the Members of Parliament (Office Expenses Allowance) (Amendment) Rules, 1997.

(ii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 3 of the Members of Parliament (Office Expenses Allowance) Rules 1988 the following shall be substituted namely :

"3. Amount of Office Expense Allowance–A Member shall be entitled to receive the Office Expense Allowance under section 8 of the Act at the rate of rupees five thousand five hundred per mensem, out of which Rs. 1,500 should be for meeting expenses on stationery item etc. and Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat may pay upto Rs. 4,000/- to the person(s) as may be engaged by a Member of Parliament for obtaining secretarial assistance."

[No. 10/2/MSA/LSS/97]

S. N. MISHRA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997